XV

दिल्ली जल बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 7 अक्टूबर, 1998 को सांय 6.00 बजे दिल्ली जल बोर्ड के सभागार वरूणालय फेज–द्वितीय में हुई पन्द्रहवीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित

1.	श्री साहिब सिंह, मुख्यमंत्री, दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री राजेन्द्र गुप्ता, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	उपाध्यक्ष
3.	श्री बालेश्वर राय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य, दि0ज0बोर्ड
4.	श्री दीप चन्द बन्धु, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	–तदैव–
5.	श्री गौरी शंकर भारद्वाज, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	–तदैव–
6.	श्रीमति रोशनी बंसल, सदस्य, दिल्ली नगर निगम	–तदैव–
7.	श्री आर. सी. वर्मा, सदस्य, दिल्ली नगर निगम	–तदैव–
8.	श्री छन्नू मल, सदस्य, दिल्ली छावनी	–तदैव–
9.	सुश्री जनक जुनेजा, सदस्य (प्रशासन)	–तदैव–

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 23 सितम्बर, 1998 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई और हस्ताक्षर किये गये ।

संकल्प संख्या 138
मद संख्या 140 — मुरादनगर से गोकुलपुरी तक पाईप द्वारा कच्चे जल की आपूर्ति हेतु वर्ष 1997–98 के रखरखाव का अनुमानित प्राक्कलन ।

मुख्य अभियंता (सी)तृतीय के पत्र क्रनांक दि.ज.बोर्ड/तक0/98/93 दिनांक 25.9.98 में दिए गये प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् — — — वर्ष 1997–98 के कंडयूट सैटलिंग टैंक आदि के रखरखाव के लिए अनुमानित लागत रूपये 74.83 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई ।

यह भी संकल्प किया गया कि जल निगम को पूर्व में भुगतान की गई अग्रिम राशि रू.60 लाख की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 139
मद संख्या 141 — दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों को लेखा वर्ष, 1997–98 हेतु अनुग्रह राशि का भुगतान ।

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्र क्रनांक प्रशा0/98/47 दिनांक 25.9.98 में दिए गये प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् यह संकल्प किया गया कि दिल्ली जल बोर्ड में कार्यरत

कृ0प0उ0

श्रेणी "सी" और "डी" के सभी कर्मचारियों तथा श्रेणी "बी" के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को बिना किसी वेतन प्राप्ति सीमा के उपरोक्त पत्र में वर्णित निबंधनों और शर्तो के आधार पर लेखा वर्ष 1997–98 के लिए अनुग्रह राशि के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है परन्तु रू02500/– के संगणक सीमा में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

यह भी संकल्प किया गया कि अनुग्रह राशि का भुगतान बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की आशा में शीघ्र कर दिया जाये ।

संकल्प संख्या 140

मद संख्या 142 एम0 एस0 प्लेट की खरीद हेतू ।

मुख्य अभियंता (सी) तृतीय के पत्र क्रमांक तक0/98/94 दिनांक 25.9.98 में दिये गये प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् यह संकल्प किया गया कि वर्ष 1998–99 के लिए 2555 मी. टन, 5 से 12 मि.मी. मोटी एम. एस. प्लेट की खरीद के लिये 4.6 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है । यह भी संकल्प किया गया कि 2180 मी.टन, 5 से 10 मि.मी. मोटी प्लेट की सप्लाई के कार्य का आवंटन मैसर्स सेल को तथा 375 मी.टन 12 मि.मी. मोटी प्लेट की आपूर्ति का आवंटन मैसर्स टिस्को को, उनके बातचीत के दौरान कम किये गये रेटों और शर्तो तथा क्रमशः रू0 3,86,73,200/– और रूपये 71,60,017.50 के कुल मुल्य पर स्वीकृति दी जाती है ।

यह भी संकल्प किया गया कि उपरोक्त खरीद केवल पुराने चल रहे कार्यो के लिए (कान्ट्रेक्ट शर्तो के आधीन) की जाये ।

संकल्प संख्या 141

मद संख्या 143 दिल्ली जल बोर्ड में कार्यरत प्रयोगशाला परिचारकों को क्लोरीन गैस–भत्ते की स्वीकृति ।

निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक) के पत्र क्रमांक प्रशा0/98/48 दिनांक 28.9.98 में दिए गये प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् यह संकल्प किया गया कि दिल्ली जल बोर्ड के विभिन्न छनन संयत्रों (फिल्टरेशन प्लांटों), रैनी कुओं और नलकूपों में कार्यरत प्रयोगशाला उपचारकों को भी अन्य वर्गो के कर्मचारियों के समान रू0 30/– प्रतिमाह की दर से क्लोरीन भत्ता दिये जाने की स्वीकृति दी जाती है ।

संकल्प संख्या 142

मद संख्या 144 शालीमार बाग में यू एवं वी ब्लाक के सामने बैठे हुए सीवर के स्थान पर 900 मि.मी. व्यास की सीवर लाइन ड़ालना एवं जोड़ना – प्रशासनिक स्वीकृति हेतु ।

मुख्य अभियंता (सी) द्वितीय के पत्र क्रमांक तक0/98/95 दिनांक 6.10.98 में दिये गये प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् यह संकल्प किया गया कि उपरोक्त कार्य के लिए रू0 98,59,500/– की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है । यह भी संकल्प किया गया कि

क्र0प030

उपरोक्त कार्य को अल्प अवधि की सूचना पर खुली बातचीत द्वारा आवंटित करने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ।

संकल्प संख्या 143

मद संख्या 145 — 40 एम.जी.डी. सीवेज पम्पिंग स्टेशन नांगलोई सैयद से निलौठी अवजल शोधक संयत्र तक 1200 मि.मी. व्यास की दोहरी राइजिंग मेंन को बिछाने और जोड़ने के कार्य हेतु 1200 मि.मी. व्यास के 7 कि. ग्रा./से.मी.2 क्षमता के दबाब हेतु परोक्षित स्टील सिलिंडर प्रवलित कंकरीट पाइपों और एम.एस. स्पेशल्स की आपूर्ति ।

मुख्य अभियंता (सी) द्वितीय के पत्र क्रमांक तक0/98/96 दिनांक 6.10.98 में दिये गये प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् यह संकल्प किया गया कि उपरोक्त कार्य को मैसर्स प्रिसीजन इंजी0 एण्ड फैब्रिकेटर्स के पक्ष में रू0 3,22,38,614/- की कुल (कम की गई) राशि पर कार्य आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 144

मद संख्या 146 — राजस्व विभाग के कर्मचारियों को प्रोत्साहन ।

निदेशक (राजस्व) के पत्र क्रमांक प्रशा0/98/49 दिनांक 6.10.98 में दिए गये प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् यह संकल्प किया गया कि राजस्व कर्मचारियों को निर्धारित लक्ष्य से अधिक वसूली करने पर उपरोक्त पत्र में दिए गए प्रोत्साहन प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाती है ।

बोर्ड की बैठक के दौरान निम्न विषयों पर भी चर्चा हुई और निर्णय लिये गये:-

1. बोर्ड की पिछली बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार दिल्ली के विभिन्न भागों में 2000 डीप बोर हैण्डपम्प लगाये जाने थे लेकिन अभी तक इस कार्य की गति बहुत धीमी रही है। मुख्य अभियंता (जल) ने बताया कि अब तक 650 डीप बोर हैण्ड पम्प लगाने के लिये कार्य आदेश जारी कर दिये गये हैं और शेष डीप बोर हैण्ड पम्पों को प्राथमिकता के आधार पर लगाने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

2. विभाग द्वारा किराए पर लगाये गये निजी टैंकरों की समय-समय पर जाँच की जाए और इनके ढक्कन और टूटियों के सही ढंग से बन्द करने के सम्बन्ध में लिखित में निर्देश दिये जाँए तथा उनके द्वारा पेयजल का सही ढंग से वितरण किया जाए । यदि किसी निजी टैंकर द्वारा उपरोक्त निर्देशों का सही ढंग से पालन नहीं किया जाता है तो उसे हटा दिया जाएगा तथा उनकी देय राशि को भी जब्त किया जाएगा । इस कार्य की आकस्मिक जाँच बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी भी समय-समय पर करेंगे और अपनी रिर्पोट आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजेंगे ।

3. श्री गौरीशंकर भारद्वाज माननीय सदस्य नें कुछ इलाकों में जल बोर्ड की लाइनों से हो रहे रिसाव की ओर ध्यान आकर्षित किया । यह निर्णय लिया गया कि समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना तुरन्त प्रकाशित कराई जाए कि यदि दिल्ली जल बोर्ड की राइजिंग मेंन में कोई रिसाव/लीकेज या पेयजल की

कृ0प0उ0

बर्बादी के बारे में सूचना है तो उसे जल बोर्ड के नियंत्रण कक्षों में दी जाए तथा इस प्रकार की सूचना देने वाले को उचित पारितोषिक दिया जाएगा ।

यह भी स्पष्ट किया गया कि पानी की मुख्य लाइनों में सभी तरह के रिसावों को विभाग द्वारा 31.10.1998 तक ठीक करवा दिया जाये तथा उसके पश्चात् यदि किसी राइजिंग मेंन में कोई रिसाव पाया गया तो सम्बन्धित कर्मचारियों/अभियन्ताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

4. जिन ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को काफी बढ़े हुए बिल भेजे गये हैं उनकी तुरन्त समीक्षा की जाये और उन्हें शीघ्र संशोधित बिल भेजे जाएँ । क्षेत्रीय राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये जाऐं कि ऐसे कनेक्शनों के संशोधित बिल में दण्ड की राशि सम्मिलित न की जाए ।

5. बोर्ड की बैठक में सदस्यों की पूरी उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बोर्ड की बैठक का समय सांय 6.00 बजे निश्चित किया गया था लेकिन उपस्थिति में सुधार न होने के कारण बोर्ड की अगामी बैठकें पुनः सांय 3.00 बजे हुआ करेगी ।

6. निलोठी में अवजल उपचार संयत्र के लिए रिसाल गार्डन की अधिग्रहित की गई जमीन के सम्बन्ध में एक समिति गठित की गई, जिसमें निम्न सदस्य होगें :-

1. श्री एस. प्रकाश, पूर्व प्रमुख अभियन्ता (जल)
2. श्री वाई. डी. बनकटा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी – संयोजक
3. श्री बी. के. गोयल, मुख्य अभियंता (सी) चतुर्थ

उपरोक्त समिति इस बात का अध्ययन करेगी कि अवजल उपचार संयत्र के लिए भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए नवीनतम प्रौधोगिकी(latest technology) के आधार पर कितनी भूमि की आवश्यकता है । समिति अपनी रिर्पोट 10 दिनों के अन्दर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगी ।

7. माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली एवं अध्यक्ष दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि नाँगलोई जल उपचार संयत्र के परीक्षण एवं कमीशनिंग के लिए हरियाणा से कच्चे पानी की आपूर्ति 12 अक्टूवर, 1998 तक आरम्भ हो जायेगी और संयत्र की टेस्टिंग 15 अक्टूबर, 1998 तक प्रारम्भ कर दी जायेगी । बोर्ड के सदस्यों ने इस घोषणा का स्वागत किया ।

कृ0प0उ0

8. दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही को अखबारों में प्रकाशित किया जाना चाहिए ।

सचिव

अध्यक्ष
दिल्ली जल बोर्ड